उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा–2019
(UPCATET-2019)
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज अयोध्या

दिनांक– 20 जुलाई 2019

परास्नातक पाठयक्रमों में प्रवेश हेतु द्वितीय ऑफलाईन काउंन्सिलिंग की संशोधित महत्वपूर्ण तिथियॉ

Programme	Reporting Date & Document Verification	Counselling Date	Time	From Combined Rank	To Combined Rank	Total Candidate
MAG	28-07-2019	29-07-2019	08.00 AM	01	300	300
	29-07-2019	30-07-2019	08.00 AM	301	809	509
	30-07-2019	31-07-2019	08.00 AM	810	1370 (SC & ST)	560
MVS	30-07-2019	31-07-2019	08.00 AM	01	73	73
MBA				01	62	62
MHS				01	39	39
MTB				01	19	19
MFS				01	13	13
MTA				01	09	09
MTM				01	03	03

रिर्पोर्टिंग / कौन्सिलिंग स्थलः
वेटनरी महाविद्यालय ऑडिटोरियम
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

पात्र अभ्यर्थी

1. द्वितीय काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम आनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग नही किया था।
2. द्वितीय काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होने प्रथम आनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग किया था परन्तु उनको सीट आवंटित नही हुयी थी।
3. द्वितीय काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते है जिन्होने आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूरा कर लिया था एवं अपग्रडेशन हेतु आवेदन किया था।
4. द्वितीय काउंसिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं जिन्होने सिक्योरिटी फीस जमा कर दी थी परन्तु किन्हीं कारणवश सम्बन्धित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नही कर सके।

रिपोर्टिंग / कौन्सिलिंग हेतु निर्देश

1 रिपार्टिंग / कौन्सिलिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित न होने की दशा में प्रवेश का कोई दावा मान्य नही होगा।

2 द्वितीय काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रू निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर अधिकारिक वेबसाइट www.upcatet.org पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आनलाइन जमा करना होगा एवं शुल्क जमा करने के बाद अगले दिन काउंसिलिंग लेटर डाउनलोड करना होगा।

3 रिपोर्टिंग / कौन्सिलिंग के समय निम्नलिखित ''प्रमाण पत्र मूलरूप में लाना अनिवार्य है सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ–साथ एक–एक प्रमाणित फोटो कापी प्रस्तुत करनी होगी। बिना मूल प्रमाण पत्रों के रिर्पोटिग / कौन्सिलिंग में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नही किया जायेगा।''

(i) ऑनलाईन आवेदन (Online Application)पत्र की प्रति।
(ii) प्रवेश पत्र
(iii) अलॉटमेंट पत्र
(iv) आधार कार्ड
(v) हाई स्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
(vi) इण्टरमीडिएट परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
(vii) मास्टर्स पाठ्यक्रमें में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्रमांक (v) एवं (vi)के साथ स्नातक परीक्षा के अंक पत्र / ट्रॉसक्रिप्ट एवं उपाधि या पीडी0सी0।
(viii) पी–एच0डी0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्रमांक (v)(vi)एवं (vii) के साथ मास्टर्स पाठ्यक्रमों की मार्कसीट / ट्रॉसक्रिप्ट एवं उपाधि या पी0डी0सी0।
(ix) शिक्षा ग्रहण करने की अन्तिम संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) / माइग्रेशन प्रमाण पत्र।
(x) उस संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र जहॉ से आपने अन्तिम शिक्षा ग्रहण की है।

(xi) यदि आप अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो नवीनतम शासनादेश के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रमाण–पत्र दिनांक 31.03.2019 के बाद का बना हुआ ही मान्य होगा। यह प्रमाण–पत्र सूचना विवरणिका के पृष्ठ 39 एवं 40 पर दिये गये प्रारूप पर होना चाहिए।

(xii) तीन पासपोर्ट साईज के नवीन फोटोग्राफ जैसा कि आवदेन पत्र पर चस्पा किया गया था।

(xiii) अन्तिम शिक्षा ग्रहण करने के बाद यदि आप किसी शिक्षण संस्था में अध्ययनरत नही रहे तो उक्त अन्तराल से सम्बन्धित शपथ–पत्र जो कि नोटरी द्वारा सत्यापित/प्रमाणित हो।

(xiv) सक्रिय सेना के सैनिक अथवा भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र। यह प्रमाण–पत्र सूचना विवरणिका के पृष्ठ 40 पर दिये गये प्रारूप पर होना चाहिए।

(xv) प्रदेश स्तर के खिलाड़ी होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र। यह प्रमाण–पत्र सूचना विवरणिका के पृष्ठ 40 पर दिये गये प्रारूप पर होना चाहिए। यदि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र ठीक नही पाया गया तो खेल–कूद के लिए दिये जाने वाले 02 प्रतिशत अंको का लाभ कम करते हुए आपकी मेरिट निर्धारित कर दी जायेगी।

(xvi) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र। यह प्रमाण–पत्र सूचना विवरणिका के पृष्ठ 41 के अनुसार होना चाहिए।

(xvii) दिव्यांग प्रमाण–पत्र जैसा कि सूचना विवरणिका के पृष्ठ 41 पर दिया गया है। बी0वी0एस0–सी0 एण्ड ए0एच0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु दिव्यांग की दशा में प्रमाण–पत्र सूचना विवरणिका पर उल्लिखित शर्तो के अधीन ही मान्य होगा।

(xviii) उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी होने का सामान्य प्रमाण–पत्र जैसा कि सूचना विवरणिका के पृष्ठ 39 पर दिया गया है।

(xix) पेमेन्ट सीट पर स्वेच्छा से प्रवेश लेने सम्बन्धी नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र रू0 10.00 नान जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।

4 अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आवदेन पत्र पर किए गये हस्ताक्षर से मिलना आवश्यक।

5 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र चस्पा किए किये फोटो का मिलान परीक्षा के समय खींचे गये फोटो से किया जायेगा। फोटो से मिलान ना होने की दशा में आपका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

6 रिपार्टिंग/कौन्सिलिंग में बुलाये जाने का यह तात्पर्य नही है कि आपको प्रवेश मिल ही जायेगा। जिस मेरिट स्तर पर समस्त सीटें भर जाएगी वहीं कौन्सिलिंग समाप्त हो जायेगी।

7 प्रवेश परीक्षा की मेरिट के अनुसार प्रवेश के स्तर पर पहुँचने एवं प्रमाण–पत्रों की जॉच के उपरान्त यदि आप प्रवेश के लिए उपयुक्त पाये गये तो प्रवेश के समय निम्नलिखित शुल्क जमा करना होगा। शेष शुल्क जिस विश्वविद्यालय में आपने प्रवेश पाया है, वहाँ पर जमा कराना होगा।

(क) प्रवेष हेतु प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रारम्भिक प्रवेश शुल्क के रूप में रू0 5000.00 (रू. पॉच हजार मात्र) की धनराशि का भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट **वित्त नियंत्रक, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज अयोध्या(Comptroller NDUA&T, Kumarganj, Ayodhya) के पक्ष में हो और जिसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक की एन.डी.यू.ए.टी. कैम्पस पिठला शाखा (कोड नं0 6925)** पर देय हो, देना होगा। नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। ड्राफ्ट न होने की स्थिति में आपको प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रवेश शुल्क किसी भी दशा में वापस नही किया जायेगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी जो पेमेन्ट अथवा एन0आर0आई0/एन0आर0आई0 स्पोन्सर्ड (NRI/NRI Sponsored)सीट पर प्रवेश चाहते हो उन्हें उत्तर प्रवेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा–2019 की सूचना विवरणिका के पृष्ठ 35 पर उल्लेखित विवरण के अनुसार पेमेन्ट/एन0आर0आई0/एन0आर0आई0 सीट की धनराशि का भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट **वित्त नियंत्रक, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज अयोध्या(Comptroller NDUA&T, Kumarganj, Ayodhya) के पक्ष में हो और जिसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक की एन.डी.यू.ए.टी. कैम्पस पिठला शाखा (कोड नं0 6925)** पर देय हो, तुरन्त देना होगा। इस सम्बंध में नगद भुगतान स्वीकार नही किया जायेगा।

8 कौन्सिलिंग हेतु अभ्यर्थियों को डाक के माध्यम से कोई सूचना प्रेषित नही की जायेगी बल्कि रिपार्टिंग/कौन्सिलिंग पत्र एवं अन्य सूचना वेबसाइट पर डाल दी जायेगी। यह अभ्यर्थी का दायित्व होगा कि वह नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहे और अपना रिपार्टिंग/कौन्सिलिंग पत्र डाउन लोड करके रिपार्टिंग/कौन्सिलिंग में भाग लें। यदि कोई अभ्यर्थी रिपार्टिंग/कौन्सिलिंग पत्र के अभाव में रिपार्टिंग/कौन्सिलिंग में भाग नही लेता है तो इसके लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नही होगा।

कुलसचिव
(ए0के0 गंगवार)

नोटः

यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त वांछित प्रमाण–पत्र में से कोई भी प्रमाण–पत्र रिपार्टिंग/कौन्सिलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करता है अथवा वांछित शुल्क नहीं जमा करता है तो उसे मेरिट में रहते हुए भी प्रवेश नहीं दिया जायेगा और उसके नीचे की मेरिट वाले अभ्यर्थी को अवसर प्रदान कर दिया जायेगा।